

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आईएएस, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 843/2023 (धारा 14 सेक्युरिटीआईजेसन)

आईएचएरएल होम फर्निचर लिमिटेड, राधा कार्यालय-डी/46/बी. नं. 307-312, टुन्वीसल टॉवर,  
आरजे का चौक, तुम्बाक मार्ग, सी-रक्षीम, जयपुर।

प्राथी वित्तीय संस्था

**बनाम**

1. श्री तुम्बाक कुमार मुञ्ज श्री तुम्बाक राज,  
पता- 15 ए, पर्यटन विहार, मार्गसी मार्ग, तिरसी रोड, जयपुर।  
एवं Corrobor Ventures Private Limited, Plot No. F-30, 31, 32, Third  
Floor, Vaishali Nagar, Behind Prashade Tower, Jaipur.  
एवं फ्लैट नं. सी-1, फ्लोर, प्लॉट नं. 2 ओके रास, कृष्णा कुंज, तिरसी रोड, जयपुर।
2. श्रीमती सत्यदेवी देवी मनी श्री तुम्बाक राज,
3. श्री तुम्बाक राज मुञ्ज श्री मन्ना राज,  
पता- फ्लैट नं. सी-1, फ्लोर, प्लॉट नं. 2 ओके रास, कृष्णा कुंज, तिरसी रोड, जयपुर।  
एवं 15 ए पर्यटन विहार, मार्गसी मार्ग, तिरसी रोड, जयपुर।

अग्रार्थीपणा

अगो एवं मास्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

सम्बन्धित :-

1. श्री प्रदीप राजपुरोहित, अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था को ओर से।

**आदेश**

दिनांक 18.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अग्रार्थी अगो को हुजुर्गाना हेतु दिनांक 27.12.2019 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अग्रार्थी श्री तुम्बाक कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. सी-1, फ्लोर, प्लॉट नं. 2 ओके रास, कृष्णा कुंज, तिरसी रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 751.03 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक कुल राशि 18,95,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अग्रार्थी अगो द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण हुजुर्गाना करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अग्रार्थी अगो को दिनांक 18.01.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का ब्याज हुजुर्गाना नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक मुनिम इन्वार उपलब्ध कराने की इत्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को पत्र से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 18,95,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 20,26,908/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.01.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुभाष कुमार के स्वामित्व की बंधक संपत्ति यूनिट नं. जी-1, भूतल, प्लॉट नं. 2, ओके प्लस, कृष्णा कुंज, सिरसी रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 751.03 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
- आदेश आज दिनांक 16.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५१०  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर